पटना में दिनांक–19 अगस्त, 2014 मंगलवार को अपराह्न 07:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह (आरक्षी) विभाग

1.	श्री निर्मल कुमार पासवान, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (ऑप०) को भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति देने हेतु 01 (एक) अधिसंख्य पद सृजित करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2.	ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित एवं पुनरीक्षित सर्वेक्षण के पश्चात् बढ़े हुए बी०पी०एल० परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न का क्रय कर आपूर्ति करने एवं इस पर होने वाले कुल 130.33 (एक सौ तीस करोड़ तैतीस लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

3.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम, पटना (अजाविनि) को सहायक अनुदान वेतन इत्यादि हेतु कुल रू० 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र स्वीकृति का प्रस्ताव।	3.	स्वीकृत।

विधि विभाग

4.	श्री भृगुनाथ तिवारी, सेवानिवृत्त अनुवाद पदाधिकारी (से०नि०–30.04.2011), सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–2804, दिनांक–29.03.2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में विहित प्रावधान तथा वित्त विभाग के संकल्प सं०–246वि० दिनांक–21.02.2014 के आलोक में अनुवाद पदाधिकारी के रिक्त पद पर नियमित वेतनमान में दिनांक–02.05.2014 से अगले एक वर्ष के लिए पुर्ननियोजित किये जाने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में विस्तार होने के कारण समिति के कार्यो के निष्पादनार्थ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कुल ₹ 8,20,800/–(आठ लाख बीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र के सम्भावित वार्षिक व्यय (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वहन किया जाएगा) पर सहायक अभियन्ता के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

6.	स्व० उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री की पुण्य तिथि राजकीय समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष 28 अगस्त को मनाये जाने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

7.	बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली तथा राजकीय अतिथिशाला, पटना के लिए "स्वागतक–सह–टेलिफोन ऑपरेटर" संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

8.	इलेक्ट्रोनिक न्यूज चैनल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु जारी होने वाले विज्ञापनों के लिए प्रसारण दर को पुनर्स्थापन करने की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत, बिहार राज्य के पूर्णियाँ, जिलान्तर्गत धमदाहा अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10.	दिनांक–01.04.2007 से दिनांक–23.09.2009 तक राज्य के विश्वविद्यालयों तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मियों को देय उपादान की राशि की गणना उनके पुनरीक्षित वेतनमान में तथा 10.00 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

11.	केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हो तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हो और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं एवं उन्हें कीर्ति चक्र या उससे उच्चतर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो उनके निकटतम आश्रित को 5,00,000/–रू० (पाँच लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2014–15 में अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत सहायक अनुदान के मद में उपबंधित कुल रू० 1,71,65,000/–(एक करोड़, एकहत्तर लाख, पैसठ हजार) में से सहायक अनुदान 31 04 वेतन मद में रू० 77,01,929/–(सतहत्तर लाख, एक हजार, नौ सौ उनतीस) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान के तहत राष्ट्रीय राज्य तथा यौन संचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम संचालन हेतु बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को कुल 5,00,00,000/–(पाँच करोड़) रूपये मात्र केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. डा० मो० अफाक, तत्कालीन जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

15. बिहार खान एवं भूतत्व प्रारूपकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 — 15. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

16. बिहार खान एवं भूतत्व सर्वेक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 — 16. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

17. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बागमती तटबंध/बाँध विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विस्थापित हुये परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं में संशोधन। — 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. 'दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010' के आलोक में 'दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2014' तथा 'दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम, 2014' के अनुमोदन तथा प्राधिकार के गठन के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

19.	मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 29990.00 लाख (दो सौ निनानवे करोड़ नब्बे लाख रूपये) के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।	19.	स्वीकृत।